171/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की तारीख
20/2/25	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विड्रोल करने बाबत पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो गया है। अब कोई विवाद नहीं रहा है अतः प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जावे। हमने वकील वादी को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन पश्चात, पाया कि वादी स्वंय अपना वाद आगे चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि विवादित भूमि संबंधी राजीनामा होना व्यक्त किया। इस प्रकार वाद हेतुक समाप्त होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के नवीन वाद हक सुरक्षित रखते हुए हस्तगत प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) [illegible]	